न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 01, उन्नाव।

प्रकीर्ण वाद संख्याः– 66/2025

CNR No:– UPUN040003402025

विष्णु मोहन मिश्रा बनाम आशीष कुमार शुक्ला उर्फ रिंकू आदि।

थानाः– कोतवाली, जिलाः– उन्नाव।

19.06.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि "घटना दिनांक 19.10.2024 की है प्रार्थी अपने भाई के घर अपनी पत्नी अंजना के साथ उन्नाव हिरन नगर में था तभी प्रार्थी के घरेलू मित्र एवं व्यवसायिक पार्टनर आशीष कुमार शुक्ला उर्फ रिन्कू ने फोन करके बताया कि वह भी उन्नाव में है कुछ जमीनो की लिखा पढी होनी है और तुमको व तुम्हारी पत्नी को उसमें गवाही देनी है तथा मुझे कुछ चेको की आवश्यकता है, जिससे पेमेन्ट करना है। हम तुम्हारे खाते में पैसा डाल देगे तुम मुझे चेक दे देना। प्रार्थी ने घरेलू सम्बन्धो के कारण विश्वास करके उन्हे पंजाब नेशनल बैंक भगवन्तनगर की चेक सं० 546121 546122, 546123, 546124, 546125, 546126, 546127, 546128, 546129, 546130, 546131, 546132, 546133, 546134 तथा अपनी पत्नी अंजना की यश बैक की चेक 062753 व 062754 हस्ताक्षरित करके दे दी तथा उनके साथ विश्वास में आकर पाटन स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय चला गया, वहाँ पर रास्ते में प्रार्थी व उसकी पत्नी को पेप्सी में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिससे प्रार्थी व उसकी पत्नी नशे जैसी हालत में हो गये और रास्ते में कई कागजो पर हस्ताक्षर करवाये, किन–किन कागजों पर करवाये प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को ज्ञात नही रहा बाद में प्रार्थी को भगवन्तनगर स्थित घर पर छोड दिया। प्रार्थी को कुछ लोगो द्वारा बाद में मालुम चला कि उन्होने मेरी पत्नी और मुझसे जिन कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे, उससे बैनामा करवा लिया है। प्रार्थी ने जब इस बाबत उपरोक्त आशीष शुक्ला से जानकारी चाही तो वह लडाई झगडा पर आमादा हो गये कहने लगे कि अब दोबारा पूछने आये तो जान से मारकर गायब करवा देगे। घटना की सूचना प्रार्थी ने थाना स्थानीय पर दी, कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है।"

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जो भी कथन किये गये है उनके संबंध में प्रार्थी स्वयं ही अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है तथा प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्यों एवं गवाहान की जानकारी है। पुलिस द्वारा किसी तथ्य अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। **अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नाथूलाल गंगवार प्रति उ०प्र० राज्य, 2008 (61) ए.सी.सी 792 (इलाहाबाद)सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007, (59) ए.सी.सी. 739 Alld. (D.V.) एवं रामबाबू गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य 2001 (43) ए.सी.सी. 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** में प्रतिपादित सिंद्धान्त के अनुसार प्रकरण को परिवाद के रूप मे दर्ज किया जा सकता है।

प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में संबंधित उच्चाधिकारियों को दिये गये प्रार्थनापत्रों की छायाप्रतियाँ व मूल डाक रशीद पत्रावली पर दाखिल किया है।

सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत होने से इंकार किया है।

अतः प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है कि आवेदक के आवेदन पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर उसका परिवाद विधि अनुसार निस्तारण किया जाये।

आदेश

आवेदक विष्णु मोहन मिश्रा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में संचालित किया जाना न्यायोचित होगा। इस बाबत बी०एन०एस०एस० की धारा 223 के तहत विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति दिनांक 31/07/2025 को पेश हो।

भवदीया

(रूचि श्रीवास्तव)
आई०डी० यू०पी० 2193
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं० 01, उन्नाव।